



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्रतीपकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

121] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 1983/चैत्र 11, 1905
121] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 1983/CHAITRA 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भाग संकलन से अलग हो
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

ऊर्जा मंत्रालय
(पेट्रोलियम विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1983

सां. कां. निं. 308(अ).--आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तिधर्मों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) तृतीय संशोधन आदेश, 1983 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश, 1970 में दी गई अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची पढ़ी जायेगी अर्थात् :—

“अनुसूची

[धारा 2(घ) और 3 देखें]

I. मुख्य बन्दरगाह/शोधनशाला पर प्रचुर मात्रा में मिट्टी के तेल के प्रति कि० लि० मूल अधिकतम विक्रय मूल्य

क्रम सं०	मुख्य बन्दरगाह/रिफाइनरी	मिट्टी का तेल	विमानन टर्बाइन ईंधन
		रुपये	रुपये

1.	बम्बई/कोबाली/मथुरा/ कोचीन/मद्रास/विशाखापत्तनम/ हल्दिया/दिग्वोड़ी/गोहाटी/ बरोनी/बोमई	1644.93	4121.85
2.	कलकत्ता	1665.74	4142.24
3.	काण्डला	1679.31	4156.15
4.	ओखा	1691.73	4168.56
5.	गोवा	1675.49	4152.34

II. समान वर परिवहन नाड़ा
उत्तम कोटिका मिट्टी का तेल 50 रुपये प्रति किलो लिटर

III. 18.5 लिटर के टिन का मूल्य 4.75 रुपये प्रति टिन

[फाइल सं० पी० 20014/2/83—पी० पी०]

आर० वासुदेवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

ORDER

New Delhi, the 1st April, 1983

G.S.R. 308 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, namely:—

1. (1) This order may be called the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Third Amendment Order, 1983.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule appended to the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

[See clauses 2(d) and 3]

I. Basic ceiling selling prices of kerosene in bulk per kilolitre ex-Main Port/Refinery

Sl. No.	Main Port/Refinery	Kerosene	Aviation
		Rs.	Turbine Fuel Rs.
(1)	Bombay/Koyali/ Mathura/Cochin/ Madras/Visakhapatnam/Haldia/Digboi/ Gauhati/Barauni/ Bongaigaon	1644.93	4121.85
(2)	Calcutta	1665.74	4142.24
(3)	Kandla	1679.31	4156.15
(4)	Okha	1691.73	4168.56
(5)	Goa	1675.49	4152.34

II. Flat transportation charges Kerosene superior

Rs. 50 per kilolitre

III. Price of 18.5 litre tin Rs. 4.75 per tin

[File No. P-20014/2/83-PP]

R. VASUDEVAN, Joint Secy.